कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5329 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 27, मई , 2014

अधिशाषी अभियन्ता,
प्रान्तीय/निर्माण खण्ड फर्रूखाबाद।

जिले में आपके अधीन विभिन्न श्रेणी की जो भी सड़कें स्थित हैं, उनमें पाट होल्स हैं और क्रस्ट भी टूटा है। जिससे यातायात प्रभावित होता है और विभाग की छवि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

आगामी 07 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गड्ढे भर जायें और जहां क्रस्ट टूटा है, उसकी यथासम्भव मरम्मत हो जाये। जहां निर्माण कार्य हो रहा है, उनमें समयवद्व कार्य कराते हुए समय से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

फर्रूखाबाद से मोहम्मदाबाद रोड को जाने वाले बाईपास मार्ग पर ग्राम ढिलावल में बन रहे सी0 सी0 रोड जो प्रान्तीय खण्ड के अधीन है, के निर्माण की गुणवत्ता हेतु कौन अवर अभियन्ता उत्तरदायी है, उसका नाम बताया जाये और उसके द्वारा सी0सी0रोड बनते समय कितनी बार साइट का भ्रमण किया गया है।

सड़कों के किनारे जहां कूड़ा या खाद के ढेर लगे हैं, उन्हें जे0सी0बी0 लगाकर फिकवा दिया जाय और सड़क की चौड़ाई खाली कर ली जाये। आगामी 07 दिनों के बाद जहां भी खाद व कूढ़े के ढेर मिलते हैं तो उस भूमि के दुरूपयोग के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता का दायित्व निर्धारित किया जायेगा। इसी तरह मार्ग के किनारे कस्वा की दुकानों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसे भी सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी , उप जिलाधिकारी व सम्बन्धित थानाध्यक्ष से सम्पर्क करके निरन्तर हटाने की कार्यवाही करें जिससे लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे अतिक्रमण की स्थिति समाप्त हो सके और यातायात वाधित न हो तथा दुर्घटनायें रोकी जा सकें।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें और साप्ताहिक समीक्षा करके मुझे सप्ताह भर किये गये कार्य का विवरण प्रत्येक शनिवार को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा स्वंय प्रस्तुत किया जाय। किसी सप्ताह में यह विवरण प्राप्त न होने पर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता का वेतन सम्बन्धित माह का रोक दिया जायेगा और तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक दिये गये निर्देशों का अनुपालन शत प्रतिशत नहीं हो जाता है।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।